

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:-पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00कि०मी० )

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाये।

किशन सिंह  
नाथगढ़/सिद्ध  
गोडाहाट

ह०/-

ग्राम प्रधान की मोहर



कुंवर सिंह  
कुंवर सिंह  
कृष्ण सिंह  
वीरचल सिंह  
आनन्द सिंह  
दिवाण सिंह  
महेन्द्र सिंह  
साधू  
चमनू

अनिल बिष्ट  
Reet  
हुमिली देवी  
गीता देवी  
सुमन बिष्ट  
पानो देवी  
Savitri  
सुरमा

सीमा देवी  
बाली देवी  
मीरा  
किरणी  
रुमो

गन्दा

आनन्द

चै

आनन्द

वीर

जो

मदन सिंह  
दिवाण सिंह  
प्रभू  
सुदीप

आनन्द

कलिका

मीरा

हुमिली देवी









ग्राम प्रधान  
श्रीमती अनारी देवी



7579469476  
9410148697  
8449933302

# ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत 'दिलऊ' विकासखण्ड कालसी, देहरादून

पता- ग्राम दिलऊ, पो.ओ. सैंज, वाया कोटी कॉलोनी, देहरादून-248165

पत्रांक : .....

दिनांक : 03/12/14

सेवा में,

अधिशाली अभियंता  
लो० नि० वि० - सहिया (कालसी)

नमोदय,

ग्राम दिलऊ सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु -  
पंजीटीलामी सैंज मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम  
वासियों का सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया है  
कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अति  
आवश्यक है, जो लोकहित में है, चर्चा के उपरान्त  
ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम-  
दिलऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अर्थात्  
खण्ड लो० नि० वि० सहिया को परियोजना के निर्माण  
हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः  
ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सेवा में प्रेषित।



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - दिलउ, तहसील- कालसी जिला-देहरादून  
उत्तराखण्ड में जनपद - देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के पजिटीलानी सैन्ज  
मार्ग का मार्ग के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.9975 हे० सिविल सोयम भूमि ,  
1.8025 हे० नाप भूमि ) अर्थात् कुल 2.800 हे० वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग  
सहिया के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दिलउ, द्वारा दिनांक 04.11.2014 को सम्पन्न ग्राम  
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में  
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,  
2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि  
उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया  
जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के  
परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति  
से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- दिलउ के ग्रामवासियों को उक्त  
वन भूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने  
पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव  
दिलउ  
वि०ख०-कालसी (दे०दून)

ह०/-  
ग्राम प्रधान



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—खमरैली  
तहसील—कालसी, जिला—देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पुनः

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में पंजीटिलानी सैज मोटर मार्ग ला निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 किमी०) के निर्माण हेतु वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, ०.५९१७5 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 18025 है०) अर्थात कुल 2800 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खमरोली द्वारा दिनांक 04.11.2014 को सम्मन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अलख, लोणनिविद, साहेब द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में नापलित प्रमाण पत्र निगत करने हेतु विरत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का उक्त जमा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनका नहीं हो रहा है। चर्चा के उत्तरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खमरोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अलख, लोणनिविद, साहेब देहरादून को नरियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमाण सत्यापित  
२०२०/-

— ०३ —  
गाम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत एच.भोईवा  
विकसन सहज कालसी, (दे० दून)






प्रपत्र-23.1

दिनांक 4.1.11...../2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत - सैन्ज, दिलउ ।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमति अनारीदेवी	अनारीदेवी
2	श्री तुलावसिंह नेगी	तुलावसिंह
3	" नर्यासिंह "	नर्यासिंह
4	" नारायणसिंह "	नारायणसिंह
5	" विरेन्द्रसिंह बिष्ट "	विरेन्द्रसिंह
6	" नैनदास "	नैनदास
7	" रतनसिंह "	रतनसिंह
8	श्रीमति सूरमा	सूरमा
9	" " मेढकी	मेढकी
10	" " सीतादेवी	सीतादेवी
11	श्री सलदासिंह	सलदासिंह
12	" विश्वनाथसिंह "	विश्वनाथसिंह
13	" गजेन्द्रसिंह "	Gajendra Singh
14	" अजयसिंह "	Ajaya
15	" सरदासिंह "	सरदासिंह
16	" वीरवल्लभसिंह "	वीरवल्लभसिंह
17	" हमानसिंह "	हमानसिंह
18	" दिग्विजयसिंह "	दिग्विजयसिंह
19	" साधू "	साधू
20	" कलिया "	कलिया
21	" दाम्भ "	दाम्भ
22	श्रीमति सुमनदेवी W/O जगदीशसिंह	सुमनदेवी
23	श्रीमति सुमनदेवी W/O रामदेवसिंह	सुमनदेवी
24	श्रीमति सुमनदेवी W/O गजेंद्रसिंह	सुमनदेवी
25	श्रीमति सुमनदेवी W/O सुन्दरसिंह	सुमनदेवी
26	श्रीमति सुमनदेवी W/O विष्णुसिंह	सुमनदेवी
27	श्रीमति सुमनदेवी W/O राम	सुमनदेवी



प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:— पंजीटिलानी सैंज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 किमी०)

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाये।



ह०/—  
ग्राम प्रधान की मोहर

प्रपत्र-23.1

दिनांक : 04.11.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत - खमरोली,

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुमान सिंह	गुमान सिंह
2	अमर सिंह	अमर सिंह
3	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
4	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
5	दयाल सिंह	दयाल सिंह
6	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
7	चमन सिंह	चमन सिंह
(8)	श्रीमती स्वकपा देवी (उप-प्रधान)	स्वकपा देवी
9	सरिता देवी (गर्भ सहाय)	सरिता देवी
10	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
11	रेखा देवी	रेखा देवी
12	श्री शान्ति सिंह (पूर्व क्षेत्रीय सदस्य खमरोली)	श्री शान्ति सिंह
13	श्रीमती निरोदेवी	निरोदेवी
14	श्री तोला दास	तोला दास
15	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
16	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
17	हरदास	हरदास
18	ठेमिया	ठेमिया

ग्राम प्रधान - खमरोली  
04.11.2014  
जिला दहशत



**FORM – 1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Dehradun**

No:.....

Dated:.....


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of **Panjitilani Sainj Moto Marg** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **Khamroli, Dilao, Sainj** village(s) in **kalsi** Tehsils.

It is further certified that:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

  
Signature  
(Full name of the official seal of the District Collector)  
District Magistrate  
Dehradun.

**FORM – II**  
**(For projects other than linear projects)**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Dehradun**

No:.....

Dated:.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of **Panjitilani Sainj Moto Marg** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **Khamroli, Dilao, Sainj** village(s) in Chakrata Tehsils.

It is further certified that:

- (g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.
- (h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA.
- (i) The each of concerned gram sabha (s), has certified thal all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood. The purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Sainj villages (s) is enclosed as annexure..... To annexure.....
- (j) The discussion and decision on such proposals on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.



- (k) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram subha have given their consent to it.
- (l) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

  
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate  
Dehradun.

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ravii Nath Raman I.A.S. District Magistrate, Dehradun on date 16.02.2015 at time.....at dehradun in which application claiming rights in measuring **0.9975** Area hect for the Construction of **Panjitilani Sainj Motor Marg** forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place.....  
Dated.....

  
Deputy Commissioner –cum-Chairman  
District Level Committee

District Magistrate  
Dehradun,


## कार्यवृत्त


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वनमंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 11-09/98-F.C(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 16.12.2015 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ—

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम पजिटीलानी सैज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8025 है० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 34 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ०ख०,लो०नि०वि० सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार ग्राम दिलउ सैज के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 04.11.2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 11.2.2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अन्तर्गत सिविल सोयम वन भूमि में चिन्हित भु-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून  
सदस्य सचिव

  
प्रजापति वन अधिकारी  
चकराता वन प्रभाग चकराता  
सदस्य देहरादून

  
जिलाधिकारी  
अध्यक्ष  
District Magistrate  
देहरादून

### प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है० )

#### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद- देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम पजिटीलानी सैन्ज मार्ग के ग्राम दिलउ सैज तक विस्तार के निर्माण हेतु 2.800 है० वन भूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह० /   
जिलाधिकारी  
देहरादून  
District Magistrate  
Dehradun,